samast.mponline.gov.in/portal/search-scheme-wizard

संत रविदास स्वरोजगार योजना

- **योजना का उद्देश्य :** योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

- **योजना का क्रियान्वयन:** संत रविदास स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन के लिए एवं वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण जिलेवार प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित, भोपाल द्वारा किया जावेगा।

- **पात्रता:**
    - योजना का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा (अर्थात योजना का लाभ उन्हीं उद्यमों को देय होगा, जो मध्यप्रदेश सीमा के अन्दर स्थापित हों)।
    - आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
    - आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य हो। (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र सलंग्न करना होगा)।
    - आवेदन दिनांक को आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य हो।
    - किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता /अशोधी Defaulter नहीं होना चाहिए।
    - यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी/स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कर रहा हो, तो इस योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं होगा।
    - सिर्फ एक बार ही इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र होगा।
    - योजना उद्योग/सेवा व्यवसाय क्षेत्र के लिए होगी।

- **वित्तीय सहायता:**
    - उद्योग विनिर्माण ईकाई के लिए राशि रु 1 लाख से रु 50 लाख तक की परियोजनाए
    - सेवा (सर्विस) ईकाई एवं खुदरा व्यवसाय (रिटेल ट्रेड) हेतु रु 1 लाख से रु 25 लाख तक की परियोजनाए
    - ब्याज अनुदान - योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित / शेष (Outstanding) ऋण (Term Loan & Working Capital Loan) पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षो तक (मोरेटोरियम अवधि सहित), नियमित रूप से ऋण भुगतान (निधारित समय एवं राशि) की शर्त पर निगम द्वारा दिया जायेगा